न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
राजस्व वाद 41/2022(2022/159)

1. न्याली देवी पत्नी श्री श्रवण।
2. महावीर पुत्र श्री धन्ना
3. तमाम जाति कुमावत निवासीगण ग्राम रूपनिवासी तहसील केकडी जिला अजमेर। ---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

4. श्रवण पुत्र श्री श्रीकिशन जाति कुमावत निवासी ग्राम रूपनिवास तहसील केकडी जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील केकडी जिला अजमेर। --- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री सीताराम कुमावत
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम मानखण्ड तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2072–75** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड हैः—

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
181–175	2035	1.23	बारानी 3
	कुल किता 1	रकबा 1.23हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की अराजीयात है व प्रार्थीगण ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण ही मौके पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात के अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है, परन्तु वे अकारण ही प्रार्थीगण से रंजिश रखते हैं तथा प्रार्थीगण की हक, हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को हड़पने की बदमंशा रखते हैं। उन्होंने उक्त भूमि की सीमा को हांक जोत कर नष्ट कर दिया है, जिससे सीमाएं अस्पष्ट हो गई है, जिसके कारण मौके पर विवाद होने की आशंका पैदा हो गई है। इसलिए पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह को नष्ट कर आराजीयात के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे हैं। सीमा चिन्हों को मौके पर नष्ट कर दिया जिससे उक्त आराजीयात का स्थायी सीमा ज्ञान पत्थरगढ़ी से करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा मौके पर लडाई झगड़ा एवं अशांति होगी तथा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढ़ेगी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं.2 को सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थीगण सं.2 ने कहा कि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी से पत्थरगढ़ी के आदेश लेकर आओ अतः प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त आराजीयात श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.22 11:38:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

की फीस जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब में कोई आपत्ति नही होना बताया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में राजहित प्रभावित नही होना बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम मानखण्ड तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या नया पुराना 181–175 के खसरा नंबर 2035 रकबा 1.23हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.22 11:58:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner